न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 161/2019 प्रार्थना पत्र
GCMS No. – 2019/00492

1. श्री मुकेश कुमार मुतबन्ना माधूलाल पिता राधेश्यामजी धाकड निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.
2. राधेश्यामजी धाकड पिता रतनालल धाकड निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.
3. रामकन्या पुत्री रतनालल जी पत्नि राधेश्याम धाकड निवासी बांगेडा घाटा हाल मुकाम मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.
4. दाखीबाई पत्नि रतनलाल धाकड निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दलाल पिता खेमराज धाकड निवासी बांगेडा घाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज.

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री अनुराग ओझा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बांगेडा घाटा की आराजी नम्बर 1999 रकबा 0.2000 है० ,आराजी नम्बर 2000 रकबा 0.0700 है0 दोनो आराजी आपस में मिली हुई है जिसके संयुक्त पडोस पुर्व में प्रतिवादी नन्दलाल की आराजियात, पश्चिम में भैरूलाल, भंवरलाल धाकड का खेत, उत्तर में गोपाल व. मंजु की आराजी एंव दक्षिण में हिरालाल धाकड की आराजीयात इन चारो पडोसो के बीच की आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है और विपक्षी की जमीन प्रार्थी की आराजी नम्बर 1999, 2000 के पुर्वी तरफ है। विपक्षी प्रार्थीगण की पुर्वी तरफ की सीमा पर आये दिन विवाद करते है और धीरे धीरे कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की और बढते चले आ रहे है और आये दिन हमेशा प्रार्थीगण व विपक्षी के बिच प्रार्थीगण की विवादीत भूमि की पुर्वी सीमा के विवाद होकर चला आ रहा है और विपक्षी आये दिन विवाद कर प्राथीगण की खातेदारी की उपरोक्त कृषि [illegible] प्रार्थीगण की और आगे बढते हूए कब्जा करते चले आ रहे है और शेष भूमि [illegible] करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:40 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी से विपक्षीगण ने विवादीत भूमि का झगडा फसाद किया तो वादी ने विवाद के अंतिम निस्तारण हेतू पुर्वी [illegible] अपनी कृषि भूमि की [illegible] कराने हेतू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के [illegible] आवेदन पत्र पेश किया [illegible] के आदेश से तहसीलदार निम्बाहेडा ने दिनांक 04.05.2019 को पत्थरगढी की गई पत्थरगढी करने से मौके पर विपक्षी के पास प्रार्थीगण की विवादित कृषि भूमि व खातेदारी की कुल 2212 वर्ग मीटर विवादीत आराजी नम्बर 1999, 2000 पर विपक्षी का कब्जा नाजायज अनाधिकृत रूप से विपक्षी का अवैध कब्जा हटाने व प्रार्थीगणो को सुपूर्द करने को प्रार्थीगणो ने कहा तो नहीं माने और अन्य शेष बची हुई भूमि पर भी

कब्जा करने की धमकी दी और प्रार्थीगणो को जबरन बेदखल करना चाहता है। इसलिए प्रार्थीगणो विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की निवेदन किया कि वादी का वादपत्र आधारहीन एवं मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होने से अवश्य ही निरस्त फरमाया जावेगा, जिसके निर्णय मे समय लगने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थी स्वयं अपनी अकाट्य साक्ष्य से साबित करे।विपक्षी कभी भी प्रार्थीगण की आराजी की ओर नहीं बढे, न ही कभी पूर्वी सीमा को लेकर विवाद होकर चला आ रहा हो, नहीं विपक्षी ने प्रार्थी की आराजीयात मे आगे बढते हुए कब्जा किया और ना ही शेष भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण ने सभी तथ्य मनगढन्त एवं कपोल कल्पित अंकित कराये है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विपक्षी ने प्रार्थी की आराजीयात के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं कर रखा है । विपक्षी अपनी खातेदारी की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रिपोर्ट बनवायी होगी तथा उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर यह गलत प्रार्थनापत्र एवं वाद पेश किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अगर विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण विपक्षी की आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लेगे जिससे विपक्षी को अकथनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रचलित किए जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

5. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वामित्व तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 सह खातेदार है । राजस्व रेकार्ड में हक हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से को सुरक्षित रखा जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी [illegible] का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] मे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रथम [illegible] है। प्रार्थी को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का [illegible]। चूंकि वा[illegible] वर्णित भूमि प्रार्थीगण की हैं। पूर्व में भी न्यायालय से विपक्षी[illegible] से पाबंद किया गया हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में [illegible]त किया जाने से सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:40 IST
Reason: SelfAttested

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सावित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी श्री मुकेश कुमार मुतवन्ना माधूलाल पिता राधेश्याम धाकड का हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने मूल वाद में अपने हक हिस्से की घोषणा चाहा है। उक्त प्रकरण मे वादग्रस्त आराजियात में कब्जे एवं घोषणा से पहले विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा किया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य एवं गवाही के उपरान्त ही हो सकेगा, तब तक वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी नम्बर 1 के हिस्से को मूल वाद के निर्णय तक सुरक्षित रखाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से अनावश्यक वाद बढने की पूर्ण सम्भावना है। पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बांगेडा घाटा की आराजी नम्बर 1999 रकबा 0.2000 है०, आराजी नम्बर 2000 रकबा 0.0700 हैक्टेयर भूमि में मुकेश कुमार मुतवन्ना माधूलाल पिता राधेश्याम धाकड निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से से प्रार्थीगण को जबरन बैदखल नहीं करे और मौके पर काबिज अनुसार किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/12/23

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:40 IST
Reason: SelfAttested